न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 13/2021 जिला–सीकर।

1. बाबूलाल पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट्

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 30.7.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री चन्द्रशेखर दाधीच।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 07.12.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1439/राजस्व दिनाक 31.07.2018 के द्वारा ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 113, 162, 164/724, 164 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट /जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44 /राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम जलालपुर के खसरा नम्बर 113, 162, 164/724, 164 में से प्रस्तावित रकबे का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 30.07.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम जलालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसमें अपीलांट का सामलाती 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा अपीलांट की निजि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसका अपीलांट बहैशियत खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांट को सुने बिना ही अधिनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 है0 में से रकबा 0.0250 है0 भूमि तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.31 है0 में से रकबा 0.0150 है0 भूमि को गै0मु0 रास्ते में दर्ज करने के आपेक्षित आदेश दिनांक 30.7.2018 को पारित कर दिये गये। जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 26.06.2019 को तस्दीक कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में नक्शे में रास्ता की तरमीम कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय कब्जे काश्त के संबंध में कतई जांच नही की। जबकि वादग्रस्त भूमि को उपजाउ बनाकर अपीलांट अर्सा दराज से कृषि कार्य करता चला आ रहा है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, उसकी भूमि को रास्ते में दर्ज करना ना केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है बल्कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी क्षैत्राधिकारिता का दुरूपयोग किया हैं अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम में नया रास्ता सृजित करने संबंधी कोई प्रावधान नही है। प्रश्नगत विवादित प्रकरण में भी अपीलांट के खेतो में से ना तो कोई मौके पर रास्ता है तथा ना ही मौके पर उसका उपयोग हो रहा है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव का उल्लेख मात्र किया गया है जबकि किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लेने से पूर्व अथवा पश्चात भी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नही किया गया। अपीलाधीन ओश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विरूद्ध है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.7.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा उसकी आड में खोले गये नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 26.06.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 है0 तथा खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की अपीलाधीन पूर्व के रिकार्ड की स्थित बहाल रखे जाने के निर्देश जारी फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2018 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 16.03.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 113, 162, 164/724, 164 के खातेदारो की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 31.7.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का सिमारला जागीर, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जलालपुर तहसील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 है0 में से 0.0250 है0, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.45 है0 में से 0.06 है0, खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.31 है0 में से 0.0150 है0 तथा खसरा नम्बर 164 रकबा 2.67 है0 में से 0.10 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बावत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतित होता है कि प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उपरोक्त भूमियो में से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव दिनांक 31.07.2018 को अधिनस्थ न्यायालय में भिजवाया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 31.07.2018 से एक दिन पूर्व ही दिनांक 30.07.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो विचारणीय विषय है।

8. हम समझते है कि अपीलांट प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2018 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांट वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 है0 तथा खसरा नमबर 164/724 रकबा 0.31 है0 के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांट को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

9. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 अपीलांट् की ग्राम जलालपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 113 तथा खसरा नमबर 164/724 में से गैर मुमकिन रास्ते के लिये दर्ज की गई भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित उवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner